


बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

एतद् द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 2013-14 (नवीनीकरण) एवं 2014-15 (नवीन एवं नवीनीकरण) से संबंधित छात्र/छात्राओं/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अपने ऑनलाईन आवेदन से संबंधित त्रुटियों का निराकरण जिला स्तर पर ही दिनांक-25.12.2015 तक अवश्य करा लें। उक्त प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदकों को नियमानुसार जिला कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा स्वीकृत राशि उनके खाते में RTGS के माध्यम से अंतरण एवं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं पूर्ववर्ती वर्षों के सभी लंबित लाभार्थियों तथा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का बकाया एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 (प्रथम छःमाही) का छात्रवृत्ति राशि का वितरण दिनांक-31.12.2015 तक निर्धारित किया जाता है। किसी भी प्रकार की कठिनाई हेतु संबंधित जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं हेल्पलाईन नं० +91-7061914198, +91-7061914172 एवं e Mail- itcellbcebc@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।


सरकार के सचिव।